



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 ज्येष्ठ 1942 (श0)
(सं0 पटना 353) पटना, शुक्रवार, 12 जून 2020

सं० ग्रा0वि0-5/MMVSKY-102-24/2020-265932

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

10 जून 2020

विषय:- 'मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना' अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अतिरिक्त 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना' के लाभुकों एवं जल-जीवन-हरियाली अभियान के दौरान अतिक्रमण हटाने से विस्थापित वास स्थल विहीन सुयोग्य परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर वास भूमि क्रय करने हेतु पूर्व निर्धारित दर प्रति लाभुक 60,000 (साठ हजार) रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति।

दिनांक- 28.08.2018 को राज्य मंत्रिपरिषद् के निर्णयानुसार 'मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना' अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के वास स्थल विहीन परिवारों को वास भूमि क्रय करने हेतु 60000/- (साठ हजार) रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

2. दिनांक- 28.08.2018 को राज्य मंत्रिपरिषद् के निर्णयानुसार राज्य प्रायोजित 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना' अन्तर्गत 01 जनवरी 1996 से पूर्व गुच्छ समूहों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के परिवारों के निर्मित आवासों, जो जीर्ण-शीर्ण हैं, के पुनर्निर्माण के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

पुनः दिनांक- 14.01.2020 को राज्य मंत्रिपरिषद् के निर्णयानुसार राज्य के सभी आवास विहीन सुयोग्य परिवारों, जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में नहीं है, को निधि की उपलब्धता के अनुरूप तथा मुजफ्फरपुर जिला के AES से अत्यधिक प्रभावित पाँच प्रखण्डों के सभी सुयोग्य परिवारों को आवास निर्माण हेतु 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना' अन्तर्गत सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

इस योजना अन्तर्गत योग्य लाभकों के चयन के क्रम में कतिपय परिवार वास स्थल विहीन के रूप में चिन्हित किये जा रहे हैं, जिन्हें आवास की स्वीकृति हेतु वास भूमि उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जल-जीवन-हरियाली अभियान के क्रम में भी अतिक्रमण हटाये जाने से तालाबों, नहरों, नदियों के किनारे बसे परिवार विस्थापित हो रहे हैं, जिन्हें पुनर्वासित किया जाना है।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न निर्णय लिये गये हैं:-

- (क) 'मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना' अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अतिरिक्त 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना' अंतर्गत आवास निर्माण हेतु चयनित वास भूमि विहीन सुयोग्य परिवारों को वास भूमि क्रय करने के लिए पूर्व निर्धारित दर प्रति लाभुक 60,000 (साठ हजार) रुपये सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
- (ख) जल-जीवन-हरियाली अभियान के दौरान अतिक्रमण हटाने से विस्थापित होने वाले सुयोग्य वास स्थल विहीन परिवारों को वास भूमि क्रय करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर 'मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना' अंतर्गत पूर्व निर्धारित दर प्रति लाभुक 60,000 (साठ हजार) रुपये सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
- (ग) योजना के कार्यान्वयन के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किया जायेगा।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 353-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>